

मि. सं. 29-01/2022-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,
आई.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा,
नई दिल्ली-110012
दिनांक 1 अप्रैल, 2023

सेवा में,

Sh. Rommel Lawrence
3/1 MIG Kukday Layout
Nagpur, Maharashtra-440027.

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति-विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री0 Rommel Lawrence, Maharashtra से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/23/ 00018 दिनांक 23.02.2023)

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्याओं का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर सूचना माँगी गई है। जहाँ तक विस्तार निदेशालय की आत्मा योजना का संबंध है, योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्य नोडल अधिकारी (आत्मा) से जिलेवार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि डेटा उनके द्वारा रखा जाता है।

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :-

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार),
विस्तार निदेशालय,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
कमरा संख्या 204, कृषि विस्तार सदन,
पूसा, नई दिल्ली-110 012,
दूरभाष:- 011-25849881 व ई-मेल पता:-shailesh.mishra29@gov.in

भवदीया

दीपा पांडे
(दीपा पांडे)

उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आई.ओ.)/प्रभारी

दूरभाष:- 011.25846467

ई-मेल:- deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इंचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जबाव को विस्तार निदेशालय की वेबसाईट www.krishivistar.gov.in. पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।